

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 01/2023 अंतर्गत धारा 73 न.नि.अधिनियम
(GCMS No. 2023/37)

अनवान:

1. विजय सिंह उज्वल पुत्र श्री बी.डी. चारण निवासी अरविन्द स्कूल के पास, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।

.....अपीलांत

बनाम

1. नगर निगम बीकानेर जरिये आयुक्त बीकानेर।
2. आयुक्त नगर निगम बीकानेर।

.....रेस्पोंडेंट्स

04.10.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलांत उपस्थित। अपीलांत ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त अनुवानी प्रकरण को अपीलांत आगे चलाना नहीं चाहता एवं जरिये विद्वां खारिज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील जरिये विद्वां खारिज फरमाई जावे।

हमने अपीलांत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील आयुक्त, नगर निगम बीकानेर के आदेश दिनांक 26.08.2022 के विरुद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलांत इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं जरिये विद्वां खारिज करवाना चाहते हैं। अतः अपील अपीलांत जरिये विद्वां (withdrawal) खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर